

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1894-121-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१३

## मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१३.

## विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ७ का संशोधन.
४. धारा ९-ख का संशोधन.
५. धारा ९-ग का संशोधन.
६. धारा १० का संशोधन.
७. धारा ११ का संशोधन.
८. धारा १४ का संशोधन.
९. धारा १७ का संशोधन.
१०. धारा १८ का संशोधन.
११. धारा २० का संशोधन.
१२. धारा २१-क का अंतःस्थापन.
१३. धारा २६ का संशोधन.
१४. धारा ३७-क का अंतःस्थापन.
१५. धारा ५७ का संशोधन.
१६. धारा ५८ का संशोधन.
१७. धारा ६२ का संशोधन.
१८. धारा ७१ का संशोधन.
१९. अनुसूची-१ का संशोधन.
२०. अनुसूची-२ का संशोधन.

**मध्यप्रदेश अधिनियम**

**क्रमांक १६ सन् २०१३**

**मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१३**

[ दिनांक २८ मार्च, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३० मार्च, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

**मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१३ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ५ के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ८ के खण्ड (सात) के उपबंध १७ सितम्बर, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम की धारा १९ के खण्ड (दो) के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(घ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त होंगे.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड क) “आकस्मिक व्यापारी” से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मालिक, अधिकर्ता या अन्य किसी हैसियत में या तो नगदी के या आस्थगित भुगतान के बदले में या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में मध्यप्रदेश राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करने का या किसी प्रदर्शनी-सह-विक्रय का संचालन करने का यदा-कदा व्यवहार करता है;”;

(दो) खण्ड (फ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(छह) अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा के विक्रय के लिए, किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्र. २ सन् १९१५) के साथ पठित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के नियम सोलह के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय कीमत के बराबर होना समझी जाएगी.”.

(तीन) खण्ड (म) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तुक अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा, जिस पर धारा ९ के अधीन कर देय है और जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्र. २ सन् १९१५) के अधीन एफ. एल. २/एफ. एल. ३/एफ. एल. ३-ए/एफ. एल. ४/एफ. एल. ४-ए लायसेंस के धारक

व्यापारी से भिन्न किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा ४ के अर्थ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के भीतर क्रय किया है, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "करदत्त माल" होगा."

धारा ७ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) यदि ठेकेदार, आयुक्त के समाधानप्रद रूप में, विहित रीति में यह साबित कर देता है कि उप-ठेकेदार द्वारा यथास्थिति पूर्णतः या अंशतः निष्पादित की जा रही संकर्म सविदा के संबंध में उप-ठेकेदार ने धारा ११-क के अधीन प्रशमन का विकल्प लिया है, तो ठेकेदार यथा स्थिति पूर्णतः या अंशतः निष्पादन में प्रदाय किए गए माल की कुल राशि (टर्न ओवर) पर कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा.”

धारा ९-ख का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ९-ख में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(४क) उपधारा (४) में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ कोई भवन निर्माता विहित कालावधि के पश्चात् किन्तु ३० जून, २०१३ के पूर्व, उपधारा (३) के अधीन नामांकन प्रमाण-पत्र के प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करता है, तब वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार आगत कर की रिबेट का दावा करने के लिये पात्र हो सकेगा अथवा उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.”

धारा ९-ग का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ९-ग में, उपधारा (४) में, खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(च) यदि कोई परोषक या परोषिती इस उपधारा द्वारा या के अधीन यथाअपेक्षित कर की पूर्णतः या अंशतः कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे असफल रहने पर ऐसे कर के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी परिवहनकर्ता समझा जाएगा.”

धारा १० का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, स्पष्टीकरण में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:—

“परन्तु अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट माल, जो धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, ऐसा कर २ प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल, जो धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए खण्ड (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, ऐसा कर २ प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा.”

७. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़ रुपए" स्थापित किए जाएं. धारा ११ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

धारा १४ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल, जो कि अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण में उपभोग किए गए माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, विक्रय से भिन्न रूप से व्ययन किए जाने पर, वह ऐसे आगत कर की राशि, जो २ प्रतिशत से अधिक है, के आगत कर रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट माल, जो अधिसूचित किए जाएं, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपभोग किए गए माल के संबंध में और इस प्रकार विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप से व्यय किए जाने पर, वह ऐसे आगत कर की राशि, जो २ प्रतिशत से अधिक है, के आगत कर रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(दो) उपधारा (१ क क) में, शब्द, "जो ऐसी प्राकृतिक गैस के क्रय मूल्य, आगत कर के शुद्ध के ५ प्रतिशत से अधिक है" का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (१ क च) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१ क च) ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टिम्बर, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए टिम्बर का उपयोग, तैयार फर्नीचर को छोड़कर, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में करता है और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय किया जाता है तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(चार) उपधारा (१ क च) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१क छ) उपधारा (६) के खण्ड (नौ) में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी और ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा ९-क के अधधीन अधिसूचित माल, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए माल का अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में उपभोग करता है, और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय किया जाता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(पांच) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तुक विनिर्मित माल के उपधारा (१) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिसूचित माल होने की दशा में, २ प्रतिशत की दर से राशि देय होगी.”;

(छह) उपधारा (६) में, खण्ड (चार) में, शब्द अंक, और अक्षर “और ११-क” का लोप किया जाए;

(सात) उपधारा (६-क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तुक यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी (विक्रेता व्यापारी) ने किसी अवधि की विवरणी प्रस्तुत कर दी है, तो विक्रेता व्यापारी से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उस अवधि के दौरान किए गए क्रय के संबंध में कर का इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सामान्यतः भुगतान किया गया समझा जाएगा, जब तक कि यह अन्यथा न पाया जाए.”

धारा १७ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन यथाअपेक्षित रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त आवेदक को आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक कार्य दिवस के भीतर विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदाय करेगा.”.

धारा १८ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १८ में,—

(एक) उपधारा (१), खण्ड (क) में, परन्तुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(४ क) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के साथ क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसे विक्रय और क्रय की कुल राशि (टर्न ओवर) के १ प्रतिशत के समतुल्य राशि, दस हजार रुपए के अधिकतम के अध्याधीन रहते हुए, चुकाए.”.

धारा २० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (६) में, खण्ड (क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु जहाँ कोई व्यापारी विहित कालावधि के पश्चात् स्वयं को स्वेच्छापूर्वक रजिस्ट्रीकृत कराता है और अरजिस्ट्रीकृत कालावधि से संबंधित कर का धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से, कर के भुगतान का त्रैमासिक दायित्व मानते हुए, ब्याज सहित भुगतान करता है, तो इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति निर्धारित कर की राशि का पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम होगी.”.

१२. मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २१-क का अंतःस्थापन.

“२१-क. आकस्मिक व्यापारियों के संबंध में विशेष उपबंध.

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त आकस्मिक व्यापारी को, कर के भुगतान पर, राज्य के बाहर से माल लाने के लिए अनुमति दे सकेगा.”.

१३. मूल अधिनियम की धारा २६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २६ का संशोधन.

“(२क) आयुक्त, उपधारा (१) और (२) के अधीन कर की कटौती के लिए दायित्वाधीन किसी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को छोड़कर, को विहित रीति में नामांकित करेगा.”.

१४. मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ३७-क का अंतःस्थापन.

“३७-क. अनन्तिम प्रतिदाय

(१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो किसी वर्ष की अपनी विवरणियों में धारा १४ की उपधारा (४) के खण्ड (दो) के अधीन आगत कर रिबेट के प्रतिदाय का दावा करता है, निर्धारण के लंबित रहते हुए, वर्ष की समाप्ति के पश्चात् साठ दिवस के भीतर असमायोजित आगत कर रिबेट के, अनन्तिम प्रतिदाय हेतु आयुक्त को आवेदन कर सकेगा.

(२) ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि आयुक्त आवश्यक समझे, और अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, आयुक्त निर्धारण लंबित रहते हुए, दावाकृत प्रतिदाय के ७५ प्रतिशत के अधिकतम के अध्वधीन, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो केलेण्डर मास के भीतर, अनन्तिम प्रतिदाय प्रदान कर सकेगा.

(३) अनन्तिम प्रतिदाय से संबंधित वर्ष का धारा २० के अधीन निर्धारण यथासंभव शीघ्र, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से बारह केलेण्डर मास के अपश्चात् नहीं, किया जाएगा.

(४) यदि, निर्धारण पर, उपधारा (२) के अधीन प्रदाय किया गया प्रतिदाय अवधारित प्रतिदाय से अधिक पाया जाता है, तो ऐसा आधिक्य इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के रूप में वसूल किया जाएगा और ऐसे कर पर अनन्तिम प्रतिदाय प्रदाय करने की तारीख से निर्धारण की तारीख तक की कालावधि के लिए धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा.”.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (१) में, शब्द “अन्य प्रवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाएगी” के स्थान पर, शब्द “अन्य प्रवर्ग के पदाधिकारियों या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी एजेन्सी के पदाधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाएगी” स्थापित किए जाएं.

धारा ५७ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा ५८ में,—

धारा ५८ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) प्रथम बार आए शब्द “कोई यान” के स्थान पर, शब्द “माल ले जाने वाला कोई यान” स्थापित किए जाएं.

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यदि माल परिवहित करने वाला परिवहनकर्ता, दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त किया गया अभिवहन पास (ट्रांजिट पास), जिसकी विशिष्टियां, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने की तारीख और लगभग समय सहित, मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश करने के पूर्व विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल पर पूर्णतः प्रविष्ट कराई गई हों, अपने साथ रखता है, तो राज्य में उसके प्रवेश करने के पश्चात् प्रथम जाँच चौकी के जाँच चौकी अधिकारी से अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) प्राप्त करने की अपेक्षा का अनुपालन किया गया, समझा जाएगा.”;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) प्रवेश स्थान पर वह जाँच चौकी अधिकारी जो अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) जारी करता है, उस स्थान के जहाँ से परिवहनकर्ता यह घोषणा करता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जाएगा, निकट की जाँच चौकी या नाके के जाँच चौकी अधिकारी को, अपने द्वारा जारी किए गए अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) में अंतर्विष्ट जानकारी सूचित करेगा। यदि अभिवहन पास की प्राप्ति के एक सप्ताह, यानान्तरण की दशा में १५ दिवस के भीतर वह यान या माल जो अभिवहन पास के अंतर्गत आता हो, निर्गम स्थान पर नहीं पहुंचता है तो निर्गम स्थान या प्रवेश स्थान पर की जाँच चौकी या नाके की जाँच चौकी अधिकारी या धारा ५७ की उपधारा (५) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, जिसके संज्ञान में यह आता है, परिवहनकर्ता से ऐसी शास्ति वसूल करने की कार्यवाही शुरू करेगा जो कि धारा ५७ के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत की जा सकती थी:

परन्तु यानान्तरण की दशा में, आयुक्त, आवेदन पर, पन्द्रह दिवस की कालावधि बढ़ा सकेगा.”;

(तीन) उपधारा (३) को उपधारा (४) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपधारा (४) के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आकर तथा राज्य के बाहर के किसी अन्य स्थान को राज्य में से होकर जाने वाला माल, सड़क के साथ-साथ रेल द्वारा और इसके उलट, ले जाया जाता है, और यानान्तरण राज्य के भीतर होता है, इस धारा के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित माल के ऐसे अभिवहन को लागू होंगे.”.

धारा ६२ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ६२ में,—

(एक) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१क) “माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति” जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को ले जाए जा रहे धारा ५७ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल के मध्यप्रदेश राज्य में यानान्तरण में संलग्न है, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए स्वयं को नामांकित कराएगा और यानान्तरित किए गए माल का पत्रक ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक और ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा.”;



(दो) उपधारा (३) में,—

- (क) शब्द “उक्त उपधारा” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “उक्त उपधारा या उपधारा (१ क)” स्थापित किए जाएं;
- (ख) खण्ड (एक) में, शब्द “और” का लोप किया जाए;
- (ग) खण्ड (दो) को खण्ड (तीन) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः क्रमांकित खण्ड (तीन) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(दो) यदि उल्लंघन उपधारा (१क) के उपबंधों का हो तो तीन हजार रुपए, और”.

१८. मूल अधिनियम की धारा ७१ में, उपधारा (२) में,—

धारा ७१ का संशोधन.

(एक) खण्ड (ड क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड क) वह रीति जिसमें धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन उप-ठेकेदार द्वारा कर के भुगतान को, और ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा प्रशमन के विकल्प को साबित किया जाएगा;”;

(दो) खण्ड (ठ) में, उपखण्ड (आठ-क) को उपखण्ड (आठ-ख) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपखण्ड (आठ-ख) के पूर्व, निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(आठ-क) वह रीति जिसमें धारा २६ की उपधारा (२क) के अधीन कोई व्यक्ति नामांकित किया जाएगा;”;

(तीन) खण्ड (ब) में, उपखण्ड (चार) में, मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

(ड) धारा ६२ की उपधारा (१क) के अधीन, वह रीति तथा समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति स्वयं को नामांकित कराएगा, और वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें, वह कालावधि जिसके लिए, वह तारीख जिस तक और वह प्राधिकारी जिसको पत्रक प्रस्तुत किया जाएगा;”.

१९. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

अनुसूची-१ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

(१) (२) (३)

“१क रोटावेटर”;

(दो) अनुक्रमांक १३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१) (२) (३)

“१३क विद्युत ऊर्जा (इलेक्ट्रिकल एनर्जी) मीटर्स जब मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड या मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड या मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड या किसी वितरण लायसेंस धारक या वितरण फ्रेंचाइजी या किसी भी नाम का अन्य कोई व्यक्ति जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६)

(१) (२) (३)

के उपबंधों के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् वितरण हेतु अधिकृत हो, द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए रेंट या किसी भी नाम का अन्य मूल्यवान प्रतिफल प्रभारित किया जाए”;

(तीन) अनुक्रमांक ४७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१) (२) (३)

“४७ (एक) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १६) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों; और

(दो) मदिरा, से भिन्न माल, जिन पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) के अधीन शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या किया जा सके”.

अनुसूची-२ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में,—

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक १६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१) (२) (३)

“१६क इमल्सीफाईड डामर ५”;

(ख) अनुक्रमांक ३० में, मद (एक) के सम्मुख, कॉलम (२) में, शब्द “टर्बो-प्राप एअरक्राफ्ट” के स्थान पर, शब्द “अनुसूचित एयरलाईनो द्वारा प्रचालित चालीस हजार किलो ग्राम से कम के अधिकतम उठान दृव्यमान के वायुयान” स्थापित किए जाएं;

(ग) अनुक्रमांक ५१ के सम्मुख, कॉलम (२) में,—

(१) प्रविष्टि (१) (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(बारह) टेबलेट कम्प्यूटर

(तेरह) कन्वर्टिबल लेपटाप कम्प्यूटर”;

- (२) प्रविष्टि (३) (सात) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- “(आठ) सॉलिड स्टेट ड्राइव्स  
(नौ) मेमोरी कार्ड्स”;
- (घ) अनुक्रमांक ५५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- | (१) | (२)  | (३) |
|-----|--|-----|
| “५६ | मदिरा जब मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ के अधीन एफ. एल. २/एफ. एल. ३/एफ. एल. ३-ए/एफ. एल. ४/एफ. एल. ४-ए लायसेंस के धारक किसी व्यापारी द्वारा विक्रय की जाए. | ५   |
| ५६क | मिल्किंग मशीन  | ५”; |
- (ङ) अनुक्रमांक ५९ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- | (१) | (२)    | (३) |
|-----|--------|-----|
| “६० | नेफ्था | ५”; |
- (च) अनुक्रमांक ६२ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- | (१)  | (२)     | (३) |
|------|---------|-----|
| “६२क | ऑक्सीजन | ५”; |
- (छ) अनुक्रमांक ६६क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- | (१)  | (२)                              | (३) |
|------|----------------------------------|-----|
| “६६ख | प्री-फेब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर | ५”; |
- (ज) अनुक्रमांक ८३ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- | (१)  | (२)  | (३) |
|------|--|-----|
| “८३क | स्टील बारबेड वायर, स्टील वायर वेल्डेड मैश और स्टील चैन लिंक. | ५”; |
- (झ) अनुक्रमांक ८४क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—
- | (१)  | (२)  | (३) |
|------|--|-----|
| “८४ख | सभी प्रकार के नमकीन (बिस्किट और बेकरी सामान को छोड़कर) | ५”; |

(ज) अनुक्रमांक ८६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
“८७	टॉफी, लॉजेंजेस, चाकलेट, कैंडी, बबल गम, च्यूईंग गम और पिपरमेंट ड्राप्स, जिनका विक्रय मूल्य १०० रुपए प्रतिकिलो से अधिक न हो.	५”;

(दो) भाग-तीन क में, अनुक्रमांक ५ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)
“६	मदिरा जब मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ के अधीन एफ. एल. २/एफ. एल. ३/एफ. एल. ३-ए/एफ. एल. ४/एफ. एल. ४-ए लायसेंस के धारक किसी व्यापारी से भिन्न व्यापारी द्वारा विक्रय की जाए.	५”;

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1895-121-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 16 OF 2013  
THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2013

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2
3. Amendment of section 7
4. Amendment of section 9-B
5. Amendment of section 9-C
6. Amendment of section 10
7. Amendment of section 11
8. Amendment of section 14
9. Amendment of section 17
10. Amendment of section 18
11. Amendment of section 20
12. Insertion of section 21-A
13. Amendment of section 26
14. Insertion of section 37-A
15. Amendment of section 57
16. Amendment of section 58
17. Amendment of section 62
18. Amendment of section 71
19. Amendment of Schedule I
20. Amendment of Schedule II

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 OF 2013

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2013

[Received the assent of the Governor on the 28th March, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th March, 2013.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2013.

**Short title and commencement.**

(2) (a) The provisions of section 5 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2012.

(b) The provisions of clause (vii) of section 8 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 17th September, 2012.

(c) The provisions of clause (ii) of section 19 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006.

(d) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from 1st April, 2013.

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act),—

**Amendment of section 2.**

(i) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ea) “Casual Dealer” means a person who whether as principal, agent or in any other capacity carries on occasional transactions involving buying, selling, supplying or distributing goods or conducting any exhibition-cum-sale in the State of Madhya Pradesh, whether for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;”;

(ii) in clause (v), in explanation, after clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(vi) The amount of valuable consideration received or receivable by a dealer, for the sale of liquor, as specified in Part-III A of Schedule II, shall be deemed to be equivalent to the minimum sale price as fixed by the Competent Authority under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) read with rule XVI of the General License Conditions.”.

(iii) in clause (y), for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the liquor as specified in Part-III A of Schedule II, on which tax is payable under section 9 and which have been purchased by a dealer other than a dealer who holds F.L.2/F.L.3/F.L.3-A/F.L.4/F.L.4-A license under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), from a registered dealer inside the State of Madhya Pradesh within the meaning of section 4 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), shall be “tax-paid goods” for the purpose of this clause.”.

**Amendment of section 7.**

3. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(d) If the contractor proves in the prescribed manner to the satisfaction of the Commissioner that the sub-contractor has opted for composition under section 11-A in respect of the works contract being executed in whole or in part, as the case may be, by the sub-contractor, the contractor shall not be liable to pay tax on the turnover of the goods supplied in the execution of the whole or part, as the case may be, of the works contract.”.

**Amendment of section 9-B.**

4. In section 9-B of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(4A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (4), where a builder makes an application for grant of an enrolment certificate under sub-section (3) after the prescribed period but before 30th June, 2013, he shall be eligible to claim or be allowed input tax rebate in accordance with the provisions of this section.”.

**Amendment of section 9-C.**

5. In section 9-C of the principal Act, in sub-section (4), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

“(f) If a consignor or consignee fails to deduct, or after deducting fails to pay, the whole or any part of the tax as required by or under this sub-section, he shall be deemed to be a transporter liable to pay tax under sub-section (1), in default in respect of such tax.”.

**Amendment of section 10.**

6. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), in explanation, for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely :—

“Provided that in respect of the goods referred to in clause (b) consumed in manufacture or processing of goods specified in Schedule I notified under second proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 14 and the goods so manufactured or processed are disposed off otherwise than by way of sale in the course of export out of the territory of India, such tax shall be levied at the rate of 2 percent:

Provided further that in respect of the goods referred to in clause (c) consumed in manufacture of goods specified in Schedule II notified under first proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 14 and the goods so manufactured are disposed off otherwise than by way of sale within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, such tax shall be levied at the rate of 2 percent.”.

**Amendment of section 11.**

7. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “sixty lacs”, the words “ rupees one crore” shall be substituted.

**Amendment of section 14.**

8. In section 14 of the principal Act, —

(i) in sub-section (1), after clause (a), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that in respect of the goods consumed in manufacture of goods specified in Schedule II as may be notified and the goods so manufactured are disposed off otherwise than by way of sale within the State of Madhya Pradesh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, he shall claim or be allowed input tax rebate of the amount of such input tax, which is in excess of 2 percent:

Provided further that in respect of the goods consumed in manufacture or processing of goods specified in Schedule I as may be notified and the goods so manufactured or processed are disposed off otherwise than by way of sale in the course of export out of the territory of India, he shall claim or be allowed input tax rebate of the amount of such input tax, which is in excess of 2 percent.”;

(ii) in sub-section (IAA), the words “which is in excess of 5 percent of the purchase price, net of input tax, of such natural gas” shall be omitted;

(iii) for sub-section (IAF), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(IAF) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases timber as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and consumes the timber so purchased in manufacture of goods specified in Schedule II other than ready to use furniture, and the goods so manufactured are sold within the State of Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.”;

(iv) after sub-section (IAF), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(IAG) Notwithstanding anything to the contrary contained in clause (ix) of sub-section (6) and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases goods notified under section 9-A within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax and consumes the goods so purchased in manufacture of goods specified in Schedule II, and the goods so manufactured are sold within the State of Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.”;

(v) in sub-section (5), in clause (a), after sub-clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that in case of goods manufactured being goods notified under first proviso of clause (a) of sub-section (1), the amount at the rate of 2 percent shall be payable.”;

(vi) in sub-section (6), in clause (iv), the word, figure and letter “and 11-A” shall be omitted;

(vii) in sub-section (6A), for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that if a registered dealer (selling dealer) has furnished return of a period, the tax in respect of the purchases made by a registered dealer from the selling dealer during the period shall ordinarily be deemed to have been paid for the purpose of this sub-section, unless it is found otherwise.”.

9. In section 17 of the principal Act, in sub-section (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

**Amendment of section 17.**

“(a) On receipt of the application for grant of a registration certificate as required by sub-section (1) or sub-section (2), the Commissioner shall grant the applicant a registration certificate in the prescribed form within one working day from the date of receipt of the application.”.

Amendment of section 18.

10. In section 18 of the principal Act,—
- (i) in sub-section (1), in clause (a), proviso shall be omitted;
  - (ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—
- “(4A) If a registered dealer fails to comply with the requirement of furnishing details of purchases and sales along with return, the Commissioner may after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard direct him to pay by way of penalty a sum equal to 1 percent of the turnover of such sales and purchases, subject to the maximum of rupees ten thousand.”.

Amendment of section 20.

11. In section 20 of the principal Act, in sub-section (6), in clause (a), for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where a dealer voluntarily gets himself registered after the prescribed period and pays tax pertaining to the unregistered period along with interest, presuming quarterly liability to pay tax, at the rate specified under sub-section (4) of section 18, the penalty leviable under this sub-section shall be a sum equivalent to twenty five percent of the amount of tax assessed.”.

Insertion of section 21-A.

12. After section 21 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**“21-A. Special provision relating to casual dealers**

Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Commissioner may, on payment of tax, permit a casual dealer to bring goods from outside the State.”.

Amendment of section 26.

13. In section 26 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2A) The Commissioner shall enroll a person other than a dealer registered under this Act, responsible for deduction of tax under sub-sections (1) and (2), in the prescribed manner.”.

Insertion of section 37-A.

14. After section 37 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**“37-A. Provisional refund**

- (1) A registered dealer who claims refund of input tax rebate under clause (ii) of sub-section (4) of section 14 in his returns for a year, may make an application to the Commissioner for grant of provisional refund pending assessment, of the unadjusted input tax rebate after end of the year within sixty days.
- (2) After making such enquiry as the Commissioner deems necessary and on furnishing an irrevocable Bank Guarantee, the Commissioner may grant provisional refund pending assessment, subject to the maximum of 75 percent of the refund claimed, within two calendar months from the date of receipt of the application.
- (3) The assessment under section 20 of the year pertaining to the provisional refund shall be made as early as possible, not later than twelve calendar months from the date of receipt of the application.
- (4) If, on assessment, the refund granted under sub-section (2) is found to be in excess of the refund determined, then such excess shall be recovered as if it is a tax due under this Act and the interest on such tax shall be charged at the rate as specified under sub-section (4) of section 18, for the period from the date of grant of provisional refund to the date of assessment.”.



15. In Section 57 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “he shall be assisted by other category of officials”, the words “he shall be assisted by other category of officials or officials of an agency authorised by the Commissioner” shall be substituted.

**Amendment of Section 57.**

16. In Section 58 of the principal Act,—

**Amendment of Section 58.**

(i) in sub-section (1),—

(a) for the words “a vehicle” occurring at the first place, the words “a vehicle carrying goods” shall be substituted;

(b) for full stop, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that if the transporter transporting goods carries with him an electronically obtained transit pass, particulars of which including date and approximate time of entering the State of Madhya Pradesh, have been uploaded completely on the official web portal of the department before entering the State of Madhya Pradesh, alongwith the documents, he shall be deemed to have complied with the requirement of obtaining transit pass from the check post officer of the first check post after his entry into the State.”;

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) The check post officer at the entry point who issues the transit pass shall intimate the information contained in the transit pass issued by him to the check post officer of the check post or barrier near the point from which the transporter declares that the goods shall be taken out of the State. If within a week, in case of transshipment 15 days, of entry into the State with receipt of the transit pass the vehicle or the goods covered by the transit pass do not report at the exit point, the check post officer of the check post / barrier at the exit point or the entry point or any officer authorised under sub-section (5) of Section 57, whoever comes to know, shall then initiate action to recover the penalty which could have been levied under the provisions of Section 57 from the transporter :

Provided that in case of trans-shipment, the Commissioner may, on an application, extend the period of fifteen days.”;

(iii) sub-section (3) shall be renumbered as sub-section (4) and before sub-section (4) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) When goods coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State passing through the State, are carried by road as well as by rail and vice-versa, and trans-shipment takes place within the State, the provisions of this section shall mutatis mutandis apply to such movement of goods.”.

17. In Section 62 of the principal Act,—

**Amendment of Section 62.**

(i) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) Person transporting goods involved in trans-shipment in the State of Madhya Pradesh of goods notified under sub-section (2) of Section 57 carried from a place outside the State to a place outside the State, shall get himself enrolled in such manner and within such time as may be prescribed and furnish statement of the goods trans-shipped in such form, in such manner, for such period, by such date and to such authority as may be prescribed.”;

- (ii) in sub-section (3),—
- (a) for the words “said sub-section”, the words, bracket, figure and letter “said sub-section or sub-section (1A)” shall be substituted;
- (b) in clause (i), the word “and” shall be omitted;
- (c) clause (ii) shall be renumbered as clause (iii) and before clause (iii) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—
- “(ii) three thousand rupees if the contravention is of the provisions of sub-section (1A); and”.

**Amendment of Section 71.**

**18. In Section 71 of the principal Act, in sub-section (2),-**

- (i) for clause (ea), the following clause shall be substituted, namely:—
- “(ea) the manner in which the payment of tax by sub-contractor, and contractor or sub-contractor opting for composition shall be proved under sub-section (1) of Section 7;”;
- (ii) in clause (l), sub-clause (viii-a) shall be renumbered as sub-clause (viii-b) and before sub-clause (viii-b) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—
- “(viii-a) the manner in which a person shall be enrolled under sub-section (2A) of Section 26;”;
- (iii) in clause (w), in sub-clause (iv), after item (d), the following item shall be inserted, namely:—
- “(e) the manner and time within which a person shall get himself enrolled, and the form and manner in which, the period for which, the date by which and the authority to which the statement shall be furnished, under sub-section (1A) of Section 62;”.

**Amendment of Schedule I**

**19. In Schedule I to the principal Act, —**

- (i) after serial number 1, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—
- |      |             |     |
|------|-------------|-----|
| (1)  | (2)         | (3) |
| “1A. | Rotavator”; |     |
- (ii) after serial number 13, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
| (1)   | (2)                      | (3)   |
| “13A. | Electrical energy meters | When provided by the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited or Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited or Madhya Pradesh Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited or any distribution licensee or distribution franchisee or any other person by whatever name called, authorised to distribute electricity under the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), in the State of Madhya Pradesh, to the customers and rent or other valuable consideration by whatever name called charged for.”; |

- (iii) for serial number 47 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
	“47. Goods on which duty is or may be levied under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) other than,—	
	(i) medicinal and toilet preparations specified for the time being in the Schedule to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (No. 16 of 1955); and	
	(ii) liquor”.	

**20. In Schedule II to the principal Act,-**

**Amendment of  
Schedule II.**

- (i) in part-II, —
- (a) after serial number 16, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- | (1) | (2)                      | (3) |
|-----|--------------------------|-----|
|     | “16A. Emulsified bitumen | 5”; |
- (b) in serial number 30, against item (i), in column (2), for the words “a Turbo-Prop Aircraft”, the words “an aircraft with a maximum take-off mass of less than forty thousand kilograms operated by scheduled airlines” shall be substituted;
- (c) against serial number 51, in column (2),—
- (1) after entry (1)(xi), the following entries shall be inserted, namely :—
- “(xii) Tablet computer
- (xiii) Convertible lap top computer”;
- (2) after entry (3)(vii), the following entries shall be inserted, namely :—
- “(viii) Solid state drives
- (ix) Memory cards”;
- (d) after serial number 55, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- | (1) | (2)  | (3) |
|-----|--|-----|
|     | “56. Liquor when sold by a dealer who holds F.L.2/F.L.3/F.L.3-A/F.L.4/F.L.4-A license under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915. | 5   |
|     | 56A. Milking machine   | 5”; |

- (e) after serial number 59, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |      |         |     |
|------|---------|-----|
| (1)  | (2)     | (3) |
| “60. | Naphtha | 5”; |
- (f) after serial number 62, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |       |        |     |
|-------|--------|-----|
| (1)   | (2)    | (3) |
| “62A. | Oxygen | 5”; |
- (g) after serial number 66A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |       |                                |     |
|-------|--------------------------------|-----|
| (1)   | (2)                            | (3) |
| “66B. | Pre-fabricated steel structure | 5”; |
- (h) after serial number 83, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |       |  |     |
|-------|--|-----|
| (1)   | (2)  | (3) |
| “83A. | Steel barbed wire, steel wire welded mesh and steel chain link | 5”; |
- (i) after serial number 84A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |       |  |     |
|-------|--|-----|
| (1)   | (2)  | (3) |
| “84B. | All kinds of namkeen (excluding biscuits and bakery goods) | 5”; |
- (j) after serial number 86, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |      |  |     |
|------|--|-----|
| (1)  | (2)  | (3) |
| “87. | Toffee, lozenges, chocolate candy, bubble gum, chewing gum and peppermint drops, sale price of which does not exceed rupees 100 per kilogram | 5”; |
- (ii) in part-III A, after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—
- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| “6. | Liquor - when sold by a dealer other than a dealer who holds F.L.2/F.L.3/ F.L.3-A/F.L.4/F.L.4-A license under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915. | 5”. |
|-----|--|-----|